



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3184]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2017/कार्तिक 26, 1939

No. 3184]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2017/KARTIKA 26, 1939

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2017

का.आ. 3636(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 12 मई, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संख्या का.आ. 1749(अ), दिनांक 12 मई, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे—

- (i) कॉलम 3 में, भूमि के हिस्से को 118.00 किमी. से 132.400 किमी. तक के स्थान पर 118.050 किमी. से 132.375 किमी. तक के रूप में पढ़ा जाए।
- (ii) कॉलम 7 में, क्रम संख्या XI, XII, XIII एवं XIV के गांवों यथा लाहोरीजन टीई संख्या -1, लाहोरीजन टीई संख्या -2, लाहोरीजन सी-1, लाहोरीजन सी-2 हटा दिए जाएं।
- (iii) कॉलम 7 में, क्रम सं. X के गांवों यथा कारागांव ब्लॉक सं. 4 के बाद गांवों यथा लाहोरीजन टी.ई., लाहोरीजन केडेस्टरल स्ट्रीट सं. 1 एवं 2, खटखटी ब्लॉक सं.-4 शामिल किए जाएं।

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/बीओ दीमापुर/एलए/असम/2017]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना का.आ.1749(अ), दिनांक 12 मई, 2016 के अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 12 मई, 2016 में प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 17th November, 2017

S.O. 3636(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1749(E), dated the 12th May, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2016, namely:—

In the Schedule to the said notification, the following shall be amended:

- (i) In Col. 3, stretch of land may be read as 118.050 km to 132.375 Km in place of 118 Km. to 132.400. Km.
- (ii) In Col. 7, villages at S. No. XI, XII, XIII & XIV namely Lahorijan TE No. 1, Lahorijan TE No. 2, Lahorijan C-1, Lahorijan C-2 may be deleted.
- (iii) In Col. 7, After the Villages at S. No. X namely Karagaon Block No. 4, villages namely Lahorijan T. E., Lahorijan Cadestral Street No. 1 & 2, Khattkhathi Block No. 4 may be inserted.

[F. No. NHIDCL/BO Dimapur/LA/Assam/2017]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot Note : The principal notification was published *vide* S.O. 1749(E), dated the 12th May, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2016.